



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56409

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1894 वर्ष 2026

संदीप पांडे और 3 अन्य

..... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... प्रतिपक्षी

पुनरीक्षणकर्ता के अधिवक्ता : जनार्दन यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : एजीए

न्यायालय संख्या - 87

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद

1. पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान एजीए और प्रतिपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
2. यह आपराधिक पुनरीक्षण याचिका आजमगढ़ स्थित न्यायालय संख्या 3 के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 708/2023 (राज्य बनाम संदीप पांडे और अन्य) में दिनांक 28.1.2026 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। यह मामला अपराध संख्या 84/2018, धारा 308 भा.दं.सं. के अंतर्गत, थाना अहौला, जिला आजमगढ़ में दर्ज है। इस आदेश के द्वारा याचिकाकर्ताओं की धारा 308 भा.दं.सं. के तहत बरी करने की याचिका को विचारण न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैध और मनमाना है। विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने में गंभीर अवैधता और महत्वपूर्ण अनियमितता बरती है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्यों को गलत तरीके से पढ़ा और उनकी गलत व्याख्या की है तथा इस मामले में सही निष्कर्ष निकालने में विफल रही है। आक्षेपित आदेश अत्यंत यांत्रिक और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लापरवाही से पारित किया गया है , इसलिए इसे अपास्त किया जाना चाहिए और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जानी चाहिए।

4. प्रतिपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश विचारण न्यायालय द्वारा सही ढंग से पारित किया गया है और आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है। इसलिए, पुनरीक्षण याचिका खारिज की जानी चाहिए।

5. पुनरीक्षण याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि धारा 308 भा.दं.सं. के तहत कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने चोट रिपोर्ट पर भरोसा किया , जबकि पशुपती देवी की चोट रिपोर्ट से पता चलता है कि उनके पेट के मध्य भाग में 8 सेमी x 2 सेमी का घाव है, जो सिर के निचले हिस्से से 4 सेमी नीचे है। चोट किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी है और एक्स-रे और उचित प्रबंधन की सिफारिश की गई है।

6. एक अन्य घायल, रमा, उम्र 25 वर्ष। उन्हें निम्नलिखित चोटें आई हैं:-

i. माथे के बाईं ओर, बाईं भौंह के पास, 4 सेमी x 3.5 सेमी आकार का लाल रंग का नीलगू है। चोट लगने के समय उपस्थित लोगों के अनुसार, एक अन्य घाव मौजूद नहीं था।

ii. माथे के दाईं ओर, 2 सेमी x 2 सेमी आकार का लाल रंग का नीलगू है।

iii. सिर के शीर्ष पर 3 x 2 सेमी आकार का नीलगू।

iv. अनामिका उंगली के सिरे पर 1.5 x 0.5 सेमी आकार का लाल रंग का नीलगू।

v. चेहरे के दाहिने हिस्से पर दाहिने पैर के अंगूठे की जड़ के पास 4 x 2 सेमी आकार का लाल रंग का नीलगू।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आगे डॉक्टर के बयान पर भरोसा किया है , जिन्होंने चिकित्सा परीक्षण किया था और पाया था कि घायल सामान्य स्थिति में थे। सदर अस्पताल , आजमगढ़ के चिकित्सा अधिकारी डॉ . आशुतोष शाह का बयान दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि मरीज पशुपति देवी का इलाज जारी रखा गया था , फिर उनके रिश्तेदार जितेंद्र पांडे ने व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया, इसलिए उन्हें उच्च चिकित्सा केंद्र में रेफर कर दिया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



8. उच्च चिकित्सा केंद्र यानी वेदांता अस्पताल , जिला आजमगढ़ के डॉ. शिशिर जायसवाल ने बताया कि घायल 23.4.2018 को सुबह लगभग 3.00 बजे सदर अस्पताल से गंभीर हालत में लाए गए थे। नब्ज़ बहुत धीमी थी और घायल महिला का आपातकालीन उपचार किया गया तथा उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि जब महिला अस्पताल आई तो उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। घायल महिला को लीवर में चोट लगने का संदेह है। त्वचा पर चोट के निशान हैं। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और असहनीय दर्द हो रहा था। इसके कारण घायल महिला की हृदय गति प्रभावित हो रही थी।

9. प्रतिपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि घायल महिला- पथुपति देवी ने अपना बयान दर्ज कराया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि संदीप ने लाठी से उनके पेट पर वार किया था और बताया कि आरोपियों ने उन्हें पीटा था।

10. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं की उन्मोचन आवेदन खारिज कर दिया गया है। घायल महिला को सिर और पेट सहित कई चोटें आई हैं। ये दोनों शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं। इस प्रकार की चोटें किसी भी अवस्था में घातक हो सकती हैं। भा.दं.सं. की धारा 308 के तहत आरोप के लिए किसी भी प्रकार की चोट का कोई मानदंड नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इस स्तर पर कोई अंतिम निर्णय दर्ज नहीं किया जा सकता है।

11. इस तथ्य को देखते हुए , आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं है। आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में कोई मेरिट नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए।

12. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद)

19 मार्च, 2026

एसएफए/